②

निग0 5697/2018/रीवा/भू-रा0

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

1— मंगल प्रसाद पाण्डेय पिता स्व0 भगवत प्रसाद पाण्डेय
2— हीरालाल पाण्डेय पिता मंगल प्रसाद पाण्डेय
दोनो निवासी ग्राम बिरहा गोपाल, तहसील हनुमना, जिला रीवा म0प्र0 ————————निगरानीकर्तागण

बनाम

1— बुद्धसेन तनय वासुदेव पाण्डेय
2— यज्ञनारायण तनय भगवतदीन पाण्डेय
3— श्रीमती सितबिया पत्नी भुवनेश्वर प्रसाद पाण्डेय
4— जगदीश प्रसाद तनय रामप्रसाद
5— श्रीमती रामरती पत्नी त्रिवेणी प्रसाद
6— वीरभद्र तनय कौशल प्रसाद
7— बृजेश प्रसाद तनय कौशल प्रसाद
8— रामायण प्रसाद तनय कौशल प्रसाद मिश्रा
सभी निवासी ग्राम बिरहा गोपाल, तहसील हनुमना, जिला रीवा म0प्र0 ————————गैरनिगरानीकर्तागण

आवेदक श्री हीरालाल पाण्डेय द्वारा पेश। 10-9-18

राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्ध श्रीमान अपर आयुक्त महोदय, रीवा सभाग रीवा म0प्र0 के राजस्व प्रकरण क0—263/अपील/1996 — 97 आदेश दिनांक 31.08.2018

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0 राजस्व संहिता सन् 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैं :—

मूल अभिलेख म.प्र. नकलनामा प्राप्त किया 22/12/18

1— यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.08.2018 विधि एवं प्रकिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2— यह कि ग्राम बिरहा गोपाल जिला रीवा की निगराधीन भूमि शामिल शरीक थी, जिसका विभाजन कराने के लिए सहखातेदार भगवतदीन एवं श्रीमती सितबिया के द्वारा बटनवारा का आवेदन पत्र नायब तहसीलदार हनुमना के समक्ष प्रस्तुत किये थे, आवेदन पत्र के साथ पूर्व में आपसी बटनवारा पुल्ली तैयार की गई थी, जिसमें सभी सहखातेदारो ने सहमति बतौर हस्ताक्षर किये थे, इसी आधार पर निगरानीकर्ता मंगल प्रसाद के पिता भगवतदीन द्वारा बटनवारा का दस्तावेज संलग्न कर प्रस्तुत किये थे, जिसमें गैरनिगरानीकर्तागण

मंगल प्रसाद पाण्डेय — हीरालाल पाण्डेय

(2)

(3)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग0–5697/2018/रीवा/भू–रा0 जिला– रीवा

मंगल प्रसाद पाण्डेय/ बुद्धसेन पाण्डेय वगैरः

(1)	(2)
18.12.18	1. आवेदक की ओर से श्री भास्कर पाण्डेय अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 263/अपील/1996–97 में पारित आदेश दिनांक 31.08.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 18.09.18 प्रस्तुत की गयी है। 2. म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवदेन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये। 3. इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात प्रकरण दा.द. हो। सदस्य